

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5677(अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए नई दिल्ली स्थित एक अपील अधिकरण की स्थापना करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 81/2018/फा.सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)